रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032021-225819 CG-DL-E-11032021-225819

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127] No. 127] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 11, 2021/फाल्गुन 20, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 11, 2021/PHALGUNA 20, 1942

# आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2021

सा.का.नि. 168(अ).—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 22 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (ञ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण के साथ परामर्श करने के पश्चात् दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का व्ययन) नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का व्ययन) संशोधन नियम, 2021 है ।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का व्ययन) नियम, 1981 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
  - "(2) प्राधिकरण, इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए योजना के अनुपालन में निम्नलिखित उपयोगों के लिए नज़ल भूमि का नीलामी द्वारा निपटान करेगा, अर्थातु:-
  - (i) स्वास्थ्य सुविधाएं;
  - (ii) शैक्षिक और उच्चतर शैक्षिक सुविधाएं;
  - (iii) सामाजिक-सांस्कृतिक और सामुदायिक स्विधाएं;

1547 GI/2021 (1)

# (iv) खेल-कूद सुविधाएं:

परंतु इस धारा की कोई बात केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, किसी स्थानीय निकाय, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन स्वायत्त निकायों या संगठनों को भूमि के आबंटन को प्रभावित नहीं करेगी:

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन आबंटित भूमि, आबंटन में विनिर्दिष्ट उपयोग के अनुसार और उक्त उपयोग के लिए महायोजना के संनियमों के अनुसार उपयोग में ली जाएगी।"।

- 3. उक्त नियमों के नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
  - "5. कतिपय संस्थाओं को नजूल भूमि के आबंटन के लिए प्रीमियम के नियम .—

नियम 4 के उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्राधिकारी नजूल भूमि का आबंटन -

- (क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन;
- (ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा या भागत: केन्द्रीय सरकार द्वारा और भागत: एक या अधिक राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा गठित स्वायत्त निकाय:
- (ग) नियम 20 के अधीन पात्र सामाजिक या पूर्त संस्थाएं;
- (घ) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त राजनैतिक संगठन; या
- (ङ) लाभदायक, अर्द्ध-लाभदायक या अलाभदायक प्रयोजनों के लिए स्थानीय निकायों,

को प्रीमियम और भू-किराया पर ऐसी दरों पर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाएं कर सकेगीः

परंतु इस नियम के अधीन आबंटित भूमि का उपयोग महायोजना संनियमों द्वारा और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जिनके अधीन आबंटन किया गया है, शासित होगा ।"।

- 4. उक्त नियमों के नियम 6 के खंड (vi) का लोप किया जाएगा।
- 5. उक्त नियमों के नियम 7 का लोप किया जाएगा।
- 6. उक्त नियमों के नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
  - "8. नियम 4 के उपनियम (2), नियम 5, नियम 6 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए नजूल भूमि का आबंटन ऐसे प्रीमियम के संदाय पर किया जाएगा जो इन नियमों के यथास्थिति अध्याय 3 या अध्याय 4 के उपबंधों के अनुसार या तो नीलामी द्वारा या निविदान द्वारा अवधारित किया जाएगा।"।
- 7. उक्त नियमों के नियम 20 में,-
- (I) पार्श्वशीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"सामाजिक या पूर्त संस्थाओं को आबंटन के लिए पात्रता.-";

- (II) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-
  - "(क) उस संस्थान के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसार-
    - (i) यह भारत के नागरिकों के हितों का प्रत्यक्ष रूप से साधन करेगा;
    - (ii) यह दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास के लिए व्यापक रूप से संवाही होगा;
    - (iii) यह उस संस्थान द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य की प्रकृति से स्पष्ट है कि यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से अन्यत्र कहीं ओर समान दक्षता के साथ निष्पादित नहीं किया जा सकेगा;

- (III) खंड (ख) में "अस्पतालों, डिस्पैंसरियों या उच्चतर/तकनीकी शैक्षिक संस्थानों की स्थापना के प्रयोजन" शब्दों के पश्चात् "या ऐसे अन्य पूर्त प्रयोजन जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उचित समझा जाए और इस संबंध में आदेश द्वारा अधिसूचित किया जाए" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।
- 8. उक्त नियमों के नियम 21 का लोप किया जाएगा।
- 9. उक्त नियमों के नियम 28 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी प्राधिकरण सुस्पष्ट इलैक्ट्रानिक रीति द्वारा उस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किसी अभिकरण के माध्यम से नीलामी का संचालन कर सकेगा ।"।

[फा.सं. के. 20013/11/2019-डीडीवी(भाग)]

कामरान रिजवी. अपर सचिव

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.िन. सं. 872, तारीख 26 सितंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.िन. सं. 590(अ), तारीख 19 अगस्त, 2009 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

# MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2021

- G.S.R. 168(E).—In exercise of the powers conferred by clause (j) of sub-section (2) of section 56, read with sub-section (3) of section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government, after consultation with the Authority, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981, namely:-
  - 1. (1) These rules may be called the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Amendment Rules, 2021.
    - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  - 2. In the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981(hereinafter referred to as the said rules),in rule 4, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely: -
    - "(2) The Authority shall, in conformity with plans and subject to the provisions of these rules, dispose the nazul land by auction for the following uses, namely:-
    - (i) health facilities;
    - (ii) education or higher education facilities;
    - (iii) socio cultural and community facilities;
    - (iv) sports facilities:

Provided that nothing in this sub-rule shall affect the allotment of land to the Central Government, a State Government, a Union territory, any local body, autonomous bodies or organisations owned by the Central Government:

Provided further that the land allotted under this sub-rule shall be utilised in accordance with the use specified in the allotment, and as per the norms of the Master Plan for the said use.".

- 3. In the said rules, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely: -
  - "5. Rules of premium for allotment of nazul land to certain institutions. -Subject to the provision of subrule (2) of rule 4, the Authority may allot nazul land to
    - (a) Central Government or State Government or Union territory Administration;
    - (b) autonomous body constituted by Central Government or State Government or Union territory
       Administration or partly by the Central Government and partly by one or more State Governments
       or Union territory Administrations;

- (c) social or charitable institutions, eligible under rule 20;
- (d) political organisations recognised by the Election Commission of India, or
- (e) local bodies, for remunerative, semi-remunerative or un-remunerative purposes,

at the premia and ground rent at such rates as the Central Government may determine from time to time:

Provided that use of land allotted under this rule shall be governed by the Master Plan norms, and the conditions subject to which such allotment is made.".

- 4. In the said rules, in rule 6, clause (vi) shall be omitted.
- 5. Rule 7 of the said rules shall be omitted.
- 6. In the said rules, for rule 8, the following rule shall be substituted, namely: -
  - "8. Save as otherwise provided in sub-rule (2) of rule 4, rules 5, and 6, allotment of nazul land for any other purpose shall be made on payment of such premium as may be determined either by auction or by tender in accordance with the provisions of Chapter III or Chapter IV, as the case may be, of these rules."
- 7. In the said rules, in rule 20, -
  - (I) for the marginal heading, the following shall be substituted, namely: -
    - "Eligibility for allotment, to social or charitable institutions.-";
  - (II) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-
    - "(a) according to the aims and objects of that institution-
      - (i) it directly subserves the interests of the citizens of India;
      - (ii) it is generally conducive to the planned development of the National Capital Territory of Delhi;
      - (iii) it is apparent from the nature of work to be carried out by that institution, that the same cannot, with equal efficiency, be carried out elsewhere than in the National Capital Territory of Delhi;
  - III. in clause (b), after the words "the purpose of establishment of hospitals, dispensaries or higher/technical education institutes, the words, "or such other charitable purpose as deemed fit by the Central Government and notified by an order in this regard." shall be inserted.
- 8. In the said rules, rule 21 shall be omitted.
- 9. In the said rules, in rule 28, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely: -
  - "(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or sub-rule (2), the Authority may conduct auction by a transparent electronic method through any agency appointed by the Authority for that purpose."

[F.No. K.20013/11/2019-DDV (Pt)]

KAMRAN RIZVI, Addl. Secy.

**Note**: The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 872, dated the 26<sup>th</sup>September, 1981 and lastly amended vide number G.S.R. 590(E), dated 19<sup>th</sup> August, 2009.